metice (viii Amendment) Rules, 1992, under section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, together with a delay statment thereon.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notifications G.S.R. No. 30(E), dated the 25th January, 1993, publishing the Corrigendum to G.S.R. No. 904(E), dated the 2nd December, 1992, regarding the Drugs and Cosmetics (vii Amendment) Rules, 1992, together with a delay statement thereon. [Placed in Library for (iii) and (iv). *See* No. LT-4476/93].

———

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं आपकी अनुमति से परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) के कार्यकरण के संबंध में विभाग संबंधित मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी में) प्रस्तुत करता हूं।

REPORT OF THE COMMITTEE ON PETITIONS

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): महोदया, मैं आपकी अनुमति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त किये जाने की प्रार्थना करने वाली याचिका के संबंध में याचिका समिति का निम्नानवेवां प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूं।

RE-DEMAND FOR TAKING IMMEDIATE ACTION IN USHA DHIMAN CASE

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Sushma Swaraj.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam,... It is not a Zero Hour matter, Madam.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana): Madam, what is this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is regarding what?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I was saying that a Joint Committee was formed...

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Madam, you identified me first.

महोदया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि शून्य काल शुरू होते ही गुरूदास दास गुप्ता खड़े हो जाते हैं और इन्हीं का मसला सबसे गम्भीर होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती महोदया, मैं आपकी अनुमति से शून्य काल में एक गम्भीर मसला उठानी चाहती हूं। सहारनपुर में घटा हुआ उषा धीमान काण्ड पिछले बहुत दिनों से अखबारों की सुर्खियों में रहा। किसी महिला को निरवस्त्र करके अपमानित करने की यह पहली और अकेली घटना नहीं है। आये दिन इस तरह की घटनायें प्रकाश में आती हैं। लेकिन एक माहने में यह घटना अलग जरूर है कि किसी गांव के चौराहे पर या किसी शहर के मुहल्ले में यह घटना नहीं घटी है कि अखिल भरे कोर्ट के प्रांगण में जुडिसियल मजिस्ट्रेट के कमरे के सामने घटी थी और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले वकील लोग भी मूक दर्शक बन कर देखते रहे थे। बाद में राष्ट्रीय सहारा के एक पत्रकार श्री महेश भार्गव ने हिम्मत करके इसको अखबारों में छापा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस खबर के आधार पर इसका नोटिस लिया। स्वयं श्रीमती पटनायक सहारनपुर गई और उस महिला से जाकर गांव में मिली और उसको यहां बुलाकर उसकी गवाही वगैरह ली। बजाय इसके कि उस काण्ड के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही होती, उस पत्रकार को रोज धमकियां दी जा रही हैं और आपराधिक किस्म के लोग मूछों पर ताव देकर उसका पीछा करते हैं। उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा और राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने फैक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार को लिखा और गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि इस पत्रकार को अविलम्ब सुरक्षा प्रदान कराई जाए। उनके निर्देश पर डी० आई० जी० मेरठ और मंडल आयुक्त ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि इस पत्रकार को अविलम्ब सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन आज तक उन उपाय बड़े अधिकारियों के आदेशों को धता बता कर कोई सुरक्षा श्री महेश भार्गव को प्रदान नहीं कराई गई है। उषा धीमान काण्ड के अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही होना तो दूर, उस पत्रकार को जिसने हिम्मत करके इस घटना को प्रकाश में लाने का काम किया उसको रोज धमकियां आ रही हैं और उसको रोज रात को टेलिफोन रिसीवर आफ करके सोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी यह सरकार मौन बैठी हुई है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस बात के कड़े निर्देश दें कि इस तरह के बड़े अधिकारियों के आदेशों को धता बता करके स्थानीय अधिकारी अपने निहित स्वार्थों के लिए मनमानी न करें। अगर वे इस तरह से मनमानी करेंगे तो प्रशासन की खिल्ली तो उड़ेगी ही उड़ेगी, प्रशासन का मखौल तो उड़ेगा ही उड़ेगा, इस तरह के अपराधियों के हौसले भी बुलन्द होंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि गृह मंत्री इस घटना का नोटिस लें और